"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 880] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 3, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-904/28/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को सम्मिलित कर नगर पंचायत बड़ीकरेली, जिला–धमतरी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता हैः–

अनुसूची –1

नगर पंचायत बड़ीकरेली में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	बड़ीकरेली	5069
2	खट्टी	899

अनुसूची –2

नगर पंचायत बड़ीकरेली की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

ग्राम पंचायत बड़ीकरेली एवं ग्राम खट्टी की सीमाएं ही नगर पंचायत बड़ीकरेली की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर–धमतरी को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक GENS-904/28/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24–11–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th November 2025

NOTIFICATION

No. GENS-904/28/2025-UAD.—In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Badekareli in District-Dhamtari as per Schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Badekareli is as under :-

S.No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Badekareli	5069
2	Khatti	899

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Badekareli is as under :-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Badekareli shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Khatti and Badekareli.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Dhamtari on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.